न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 तारीख फैसला
132 / 2022 9.09.2023

उनवान

1– ललताबाई पुत्री छीतरलाल पत्नि रामस्वरूप जाति माली निवासी रेलगांव तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः–

वादनी की ओर से – श्री प्रमौद चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादनी के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम रेल तहसील दीगोद के खसरा नम्बर 289 की 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 849 / 1410 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 857 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 951 की 0.20 हेक्टर , व खसरा नम्बर 956 की 0.09 हेक्टर कुल 5 किता की 1.33 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम लाडबाई पुत्री छीतरलाल दर्ज है। जबकि वादनी का नाम ललताबाई है जिसमें वादीनी का 1/5 हिस्सा निहित है। वादनी का नाम वादनी के वोटर आई डी , आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र , बैंक खाते की पास बुक, शिक्षा विभाग के समस्त रिकार्ड में ललता बाई अंकित है किन्तु राजस्व रिकार्ड में ललता बाई के स्थान पर लाड़ बाई सहवन से दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम लाड़ बाई के स्थान पर ललता बाई अंकित किया जाना आवश्यक है। इस कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम लाड बाई के स्थान पर ललता बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 29.08.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया, जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। वाद कारण दिनांक

5.09.2022 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिये जाने से वाद उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादनी ने निवेदन किया है कि वादनी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे किः– कि ग्राम रेल तहसील दीगोद के खसरा नम्बर 289 की 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 849/1410 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 857 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 951 की 0.20 हेक्टर , व खसरा नम्बर 956 की 0.09 हेक्टर कुल 5 किता की 1.33 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम लाडबाई के स्थान पर ललता बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

3. प्रतिवादी परोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया कि पटवारी व भू0अभि0निरीक्षक रेल कि रिपोर्ट अनुसार लाडबाई व ललताबाई पुत्री छीतरलाल पत्नि रामस्वरूप जाति माली निवासी रेलगांव तहसील दीगोद एक ही महिला है। लाडबाई को ललताबाई के नाम से भी पुकारा जाता है। लाडबाई व ललताबाई एक ही व्यक्ति है।

4. वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादनी के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम रेल तहसील दीगोद के खसरा नम्बर 289 की 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 849/1410 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 857 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 951 की 0.20 हेक्टर , व खसरा नम्बर 956 की 0.09 हेक्टर कुल 5 किता की 1.33 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम लाडबाई पुत्री छीतरलाल दर्ज है। जबकि वादनी का सही नाम ललताबाई है जिसमें वादीनी का 1/5 हिस्सा निहित है। वादनी का नाम वोटर आई डी , आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र , बैंक खाते की पास बुक, शिक्षा विभाग के समस्त रिकार्ड में ललता बाई अंकित है किन्तु राजस्व रिकार्ड में ललता बाई के स्थान पर लाड़ बाई सहवन से दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम लाड़ बाई के स्थान पर ललता बाई अंकित किया जाना आवश्यक है। इस कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम लाड बाई के स्थान पर ललता बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

5. वादनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाहान पी डब्ल्यु 1 ललताबाई, पी डब्ल्यु 21 राजेन्द्र, व पी डब्ल्यु 3 चन्द्रप्रकाश के शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम रेल की जमाबन्दी सम्वत 2075--2078, ग्रामपचांयत रेलगांव का प्रमाण पत्र दिनांक 17.08.2022, वादनी का निर्वाचन पहचान पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड की छाया प्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति,पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान जवाब दावा में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादनी का राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

7. प्रकरण में अधिवक्ता वादनी की बहस तथा जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम लाडबाई पुत्री छीतरलाल जाति माली के स्थान पर ललता बाई पुत्री छीतरलाल जाति माली दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रेल तहसील दीगोद के खसरा नम्बर 289 की 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 849/1410 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 857 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 951 की 0.20 हेक्टर , व खसरा नम्बर 956 की 0.09 हेक्टर कुल 5 किता की 1.33 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम लाडबाई पुत्री छीतरलाल जाति माली के स्थान पर ललता बाई पुत्री छीतरलाल जाति माली दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

09/9/23
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)